झारखण्ड स्वास्थ्य मिशन समिति

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, नामकुम, राँची

फोन नं०– 2261000, 2261856 – 2261002 ई–मेल–nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक :– 9/RCH-594/19-1263 (MD) दिनांक :– 04.05.21

प्रेषक,

अभियान निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
झारखण्ड।

विषय :– कोविड–19 के दौरान कुपोषण उपचार केन्द्रों कर प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग :– पत्रांक 9/RCH-594/19-486(MD) दिनांक 11.04.2020, पत्रांक 1981(MD) दिनांक 24.09.2020

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों की तुलना में आम बीमारियों से 9 से 11 गुणा अधिक खतरा रहता है। इस महामारी के दौरान कुपोषण के दर में भी वृद्धि की संभावना रहती है। कार्यालय के पत्रांक 9/RCH-594/19-486(MD) दिनांक 11.04.2020 (संलग्न) द्वारा पूर्व में कोविड–19 के दौरान कुपोषण उपचार केन्द्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत है।

अतः उपांकित परिपेक्ष्य में सभी कुपोषण उपचार केन्द्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करते हुये संलग्न कोविड–19 दिशा–निर्देशों के अनुरूप अति गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्रों पर भर्ती एवं समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

(अभियान निदेशक)

ज्ञापांक :– 1263(MD) दिनांक :– 04.05.21

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, स्वा0, चि0 शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप निदेशक सह नोडल पदाधिकारी, Child Health Cell झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी जिला आर.सी.एच. पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कुपोषण उपचार केन्द्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. पोषण विशेषज्ञ, युनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
8. सभी जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / अस्पताल प्रबन्धक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अभियान निदेशक)

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
नामकुम, राँची।
फोन न0– 0651–2261000,2261856–2261002 मेल आई0डी0–nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक: 9/RCH-594/19 – 486 (MD) दिनांक :..11../04/2020

प्रेषक,

डॉ. शैलेश कुमार चौरसिया, भा.प्र.से.
अभियान निदेशक।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
झारखण्ड।

विषय :– कुपोषण उपचार केन्द्रों पर नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में दिशा–निर्देश।

महाशय/महाशया,

अति गंभीर कुपोषित बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में आम बीमारियों से 9 से 11 गुणा अधिक खतरा रहता है। आप अवगत हैं कि किसी भी महामारी के दौरान कुपोषण के दर में वृद्धि की संभावना रहती है। दिशा–निर्देश में मुख्य अनुशंसित व्यवहारों को शामिल किया गया है, जिन्हें कुपोषण उपचार केन्द्रों में प्रोत्साहित किया जाना है। इसके अतिरिक्त COVID-19 संक्रमण मे मद्देनजर कुपोषण उपचार केन्द्रों पर अनावश्यक भीड, समूह परामर्श, रोगियों के बीच समीप से सम्पर्क, नियमित फोलोअप हेतु बच्चों को केन्द्र पर बुलाये जाने आदि से बचने की आवश्यकता है

अतः विस्तृत दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि कुपोषण उपचार केन्द्रों पर नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के बचाव हेतु दिशा–निर्देश मे वर्णित अभ्यास/व्यवहार/बिन्दुओं का अनुपालन सुनश्चित करें।

विश्वासभाजन

11/4/20

(अभियान निदेशक)

ज्ञापांक :– 486 (MD) दिनांक :– 11/4/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव, स्वा0, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप निदेशक सह नोडल पदाधिकारी, Child Health Cell झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी जिला आर.सी.एच. पदाधिकारियों को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कुपोषण उपचार केन्द्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. पोषण विशेषज्ञ, युनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
8. सभी जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/अस्पताल प्रबन्धक को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अभियान निदेशक 11/4/20

CH Cell Yogendra

कुपोषण उपचार केन्द्रों पर नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में दिशा–निर्देश

1. हाथ धोने संबंधी व्यवहारों को प्रोत्साहित करें :–

- यह सुनिश्चित करें कि भोजन तैयार करने से पहले, बच्चों को खिलाने से पहले एवं शौच एवं बाहरी वस्तुओं को छुने के तुरन्त बाद साबुन एवं पानी से कम से कम 40 सेकेन्ड तक हाथों को धोया जाय।
- कुपोषण उपचार केन्द्रों के कर्मी द्वारा प्रत्येक दो केस (बच्चों) के अन्तराल पर हाथ धोना सुनिश्चित किया जाय।
- सुनिश्चित करें कि इस्तेमान किये जाने वाले हैंड सैनिटाइजर में 70% Alcohol Concentration हो।
- हाथ धोने की विधि प्रदर्शन वाले पोस्टर को कुपोषण उपचार केन्द्र में हाथ धोने के स्थान पर सुनिश्चित किया जाय।

2. कुपोषण उपचार केन्द्र पर प्रबन्धन एवं उपचार :–

- कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती सभी बच्चों में प्रत्येक दिन दो बार बुखार, सर्दी, खांसी व सांस लेने में तकलीफ की जॉच की जाय।
- कुपोषण उपचार केन्द्र में इलाजरत्त बच्चों को प्रोटोकॉल के अनुसार Antibiotic देना सुनिश्चित किया जाय।
- कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती सभी बच्चों में COVID-19 के लक्षणों (तेज बुखार के साथ सर्दी, खांसी व सांस लेने में तकलीफ) की जॉच की जाय। यदि किसी बच्चें में लक्षण विद्यमान हो तो निकटवर्ती अस्पताल को सूचित किया जाय।
- बच्चों में चिकित्सीय जटिलता सामान्य होने, भूख वापस आने तथा लगातार तीन दिनों तक >5g/kg/day की दर से वजन वृद्धि होने पर बच्चों को डिस्जार्च किया जा सकता है। डिस्जार्च के समय माँ/देखभालकर्ता को बच्चों के लिए घर पर की जाने वाली देखभाल, घर पर बनाये जाने वाले पौष्टिक आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता/हाथों की सफाई, प्ले थेरेपी गतिविधियों संबंधी परामर्श एवं आवश्यक औषधि, मल्टीविटामिन सीरप व आयरन सिरप प्रदान किया जाय।
- संक्रमण से बचाव हेतु शैय्याओं के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाय।
- सुनिश्चित किया जाय कि कुपोषण उपचार केन्द्र में इलाजरत्त बच्चों के साथ केवल एक परिचारक उपस्थित हो व अनावश्यक भीड न लगाया जाय।
- समूह परामर्श, Play Therapy और group food demonstration को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया जाय तथा ANM / counselor द्वारा माता / देखभालकर्ता को व्यक्तिगत बेड साइड परामर्श दिया जाय ।
- COVID-19 के सक्रिय संचार अवधि से जुडे खतरे को देखते हुए, विरमित हुए सभी बच्चों को 15 दिनों के अन्तराल पर फॉलोअप के लिए नहीं बुलाया जाय। इन सभी बच्चों का दूरभाष पर फॉलोअप किया जाय।
- कुपोषण उपचार केन्द्रों पर इलाजरत्त बच्चों की माताओं/देखभालकर्ता को प्रत्येक दिन 100रु0 पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
- जो माताएँ अनीमिक है, उन्हें IFA Supplements दिया जाना चाहिए और उन्हें वैसे आहार लेने हेतु सलाह दी जाय जिनमें प्रोटीन, ऊर्जा और सूक्ष्म पोषक तत्वों से अधिक हो, जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ायेगी।

3. Respiratory Hygiene बनाये रखें।

- दैनिक गतिविधियों के दौरान कुपोषण उपचार केन्द्र के सभी कर्मियों को Respiratory hygiene बनाये रखने के लिए मास्क पहनना चाहिए।
- इलाजरत्त बच्चें एवं उनके माताओं/देखभालकर्ताओं को भी मास्क उपलब्ध कराया जाय।

4- **कुपोषण उपचार केन्द्र पर स्वच्छता बनाये रखें**

- कुपोषण उपचार केन्द्र के फर्श को साफ करने में Sodium Hypochlorite Solution (1%) का नियमित रूप से उपयोग किया जाय ताकि पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित किया जा सकें।
- कुपोषण उपचार केन्द्रों के कर्मी जो प्रत्येक दिन बच्चों के परीक्षण में लगे हुए हैं, उन्हें प्रत्येक दो केस (बच्चों) के जॉच के उपरान्त अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए।
- MTC प्रोटोकॉल के अनुसार, बिस्तर पर चादरों की सफाई सुनिश्चित की जाय, यदि बेडशीट गीली हो जाती है तो तुरन्त बदल दिया जाना चाहिए या Mackintosh से बदल दिया जाना चाहिए।
- कुपोषण उपचार केन्द्र पर दैनिक उपयोग वाले उपकरणों यथा वजन मशीन, Infantometer, Stadiometer, Length Mat, MUAC Tape, Digital Thermometer, Drug Tray, बच्चों के खिलौने, बर्तन, Bedsheets, वार्ड के दरवाजे एवं खिडकियॉ आदि का नियमित रूप से साफ–सफाई एवं 70% Ethyl Alcohol solution की सहायता से disinfect किया जाय। इस हेतु MTC के कर्मियों द्वारा निदेर्शों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
- कुपोषण उपचार केन्द्र के कर्मियों को नियमित रूप से टेबल, कुर्सियों, दरवाजों, खिडकियों, खिडकी की रेलिंग, हैंडल को बार–बार छूने से बचना चाहिए एवं नियमित रूप से उक्त वस्तुओं का Disinfection सुनिश्चित किया जाय।
- यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी कुपोषण उपचार केन्द्रों पर स्वच्छ पेयजल हेतु फिल्टर/RO की का प्रावधान किया गया हो ।
- MTC में बच्चों और मॉ/देखभालकर्ता के लिए अलग बर्तनों का प्रावधान किया जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक फीड के बाद बर्तन ठीक से साफ हो जाय।
- माताओं/देखभालकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले शौचालय में स्वच्छता बनाये रखने हेतु नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित की जाय।
- डस्टबीन को संक्रमण मुक्त रखने के लिए क्लोरीन से प्रत्येक दिन सफाई की जानी चाहिए।
- भोजन तैयार करने एवं परोसने में उपयोग में लाये जाने वाले बर्तनों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से sterilized किया जाना चाहिए।
- कुपोषण उपचार के सभी कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मास्क का उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
- कुपोषण उपचार केन्द्र के Cook को खाना बनाते और परोसते समय Apron, दस्ताने एवं टोपी का उपयोग करना चाहिए

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
फोन न0– 0651–2261000,2261856–2261002 मेल आई0डी0–nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक : 9/RCH- 1981 (MD) दिनांक : 24.09.2020

प्रेषक,

अभियान निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
झारखण्ड।

विषयः– कुपोषण उपचार केन्द्रों के प्रभावी संचालन के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्तर से प्रत्येक माह कुपोषण उपचार केन्द्रो के संचालन संबंधी जानकारी दूरभाष के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। माह अगस्त 2020 में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार राज्य में कुपोषण उपचार केन्द्रों के संचालन की स्थिति निम्नवत् है :–

1. राज्य में 96 कुपोषण उपचार केन्द्रों में से मात्र 91 कुपोषण उपचार केन्द्र ही संचालित है। कुपोषण उपचार केन्द्र कोडरमा, बरही, राजमहल, गोविन्दपुर एवं परिवार कल्याण संस्थान, जमशेदपुर का संचालन बन्द है।
2. कुपोषण उपचार केन्द्र रामगढ़, गोला, माण्डू (रामगढ़) एवं टुण्डी, तोपचांची (धनबाद) द्वारा विगत 4 माहों से मासिक प्रगति प्रतिवेदन को कुपोषण उपचार केन्द्र के ऑनलाईन MIS पर संधारित नहीं किया जा रहा है।
3. 12 कुपोषण उपचार केन्द्रों पर पदस्थापित ए.एन.एम. को अन्य कार्यों में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है, जिससे कुपोषण उपचार केन्द्र का संचालन प्रभावित हो रहा है।
4. कुल 86 स्वीकृत न्यूट्रीशन काउन्सलरों के पद के विरूद्ध प्रतिवेदित तिथि तक मात्र 22 न्यूट्रीशन काउन्सलरों की बहाली जिलास्तर पर की गयी है। ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार द्वारा भी केवल उन्हीं कुपोषण उपचार केन्द्रों के Operational Cost की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जहाँ न्यूट्रीशन काउन्सलर पदस्थापित हैं।

उपांकित परिपेक्ष्य में राज्य में सभी स्वीकृत कुपोषण उपचार केन्द्रों के संचालन हेतु निम्नांकित निदेशों का अनुपालन किया जाय।

1. अविलम्ब सभी स्वीकृत न्यूट्रीशन काउन्सलरों के पद पर नियुक्ति सुनिश्चित की जाय।
2. सभी बन्द कुपोषण उपचार केन्द्रों का संचालन अविलम्ब प्रारम्भ किया जाय।
3. कुपोषण उपचार केन्द्रों का प्रतिवेदन राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये Android Tablet के माध्यम से Real-time डाटा इन्ट्री सुनिश्चित करावायी जाय।
4. कुपोषण उपचार केन्द्र की ए.एन.एम. को Double Duty या अन्यत्र प्रतिनियुक्त नहीं किया जाय ताकि एम.टी.सी. से प्रदत्त सेवाएँ अवरूद्ध न हों।
5. कुपोषण उपचार केन्द्र पर पारामेडिकल कर्मियों एवं एडमिट बच्चों की माताओं/देखभालकर्ताओं के लिए मास्क एवं सैनिटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
6. सहियाओं एवं समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर अति गंभीर कुपोषित बच्चों का एम.टी.सी. में रेफरल सुनिश्चित किया जाय।
7. कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु निर्गत दिशा–निर्देश (पत्रांक 486 (MD) दिनांक 11.04.2020) का अनुपालन कुपोषण उपचार केन्द्रों पर सुनिश्चित कराया जाय।

162

अतः माह अगस्त 2020 में राज्य में कुपोषण उपचार केन्द्रों के संचालन संबंधी प्राप्त सूचनाओं पर आधारित विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि सभी कुपोषण उपचार केन्द्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अभियान निदेशक)

ज्ञापांक :– 1981 (MD) दिनांक :– 24.09.2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. नोडल पदाधिकारी, Child Health को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कुपोषण उपचार केन्द्रों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
5. सभी जिला कार्यक्रम प्रबन्धकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
6. Nutrition Specialist, UNICEF को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अभियान निदेशक)

SrNo	District	
1	BG	
2	BG	
3	BG	
4	BG	
5	CHD	
6	CHD	
7	CHD	
8	CHD	
9	DMK	
10	DMK	
11	DMK	
12	DMK	
13	KHW	
14	KHW	
15	KHW	
16	KHW	
17	SPA	
18	SPA	
19	SPA	
20	SPA	
21	SPT	
22	SPT	
23	SPT	
24	SPT	
25	WSW	
26	WSW	
27	WSW	
28	WSW	
29	WSW	
30	WSW	
31	WSW	
32	WSW	
33	WSW	
34	WSW	
35	WSW	
36	WSW	